



सखी सहेली ग्रुप की महिलाओं ने देखी ‘हनुमान अंश’ फिल्म
राजनगर। नगर परिषद बनगवां (राजनगर) की सखी सहेली ग्रुप की महिलाओं ने बुधवार को कोतमा स्थित जॉय सिनेप्लेक्स टॉकीज में भक्ति भाव से जुड़ी फिल्म ‘हनुमान अंश’ देखी। फिल्म को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह नजर आया। फिल्म देखने के लिए मध्यप्रदेश शासन के मंत्री दिलीप जायसवाल, श्रीमती अर्चना जायसवाल एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्रीमती ज्योति सोनी भी शामिल हुईं। इस अवसर पर राजनगर, पौधाधार एवं बिजुरी क्षेत्र की सखी सहेली ग्रुप की बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। फिल्म देखने के दौरान महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ समय बिताया और फिल्म के धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रसंगों की सराहना की। महिलाओं ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन मनोरंजन के साथ-साथ भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और धार्मिक भावनाओं से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने आपस में अनुभव साझा किए और सामूहिक रूप से फिल्म देखने का आनंद लिया। महिलाओं ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम महिलाओं को एक साथ आने, सामाजिक मेलजोल बढ़ाने तथा आपसी भाईचारे को मजबूत करने का अवसर देते हैं। इस फिल्म को देखने सखी सहेलियो में श्रीमती सहबिन पनिका अध्यक्ष,पार्षद/कंचना मेहता, एडवोकेट श्रीमती संगीता सोनी, श्रीमती सरला सिंह, ममता पात्रों, संगीता साहू, संगीता माली, पूनम शर्मा, सुनीता द्विवेदी, मोनी त्रिपाठी, प्रीति पांडे, पत्रकार रीना शर्मा, पप्पी सोनी, पुष्पा चतुर्वेदी, सहित सखी सहेली ग्रुप की महिलाएं रही।

कल शहडोल में सुर सागाझी लता मंगेशकर सुगम संगीत प्रतियोगिता
उमरिया। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी की ओर से लता मंगेशकर सुगम संगीत प्रतियोगिता का संभाग स्तरीय आयोजन 10 सितंबर को शहडोल के महिला मंडल सभागार मे किया जाएगा। प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। जिसमे समूचे शहडोल संभाग के गीत-संगीत में रुचि रखने वाले कलाकार निधारित आयु एवं नियमों के अनुसार भाग ले सकेंगे। आयोजन के निर्देशक, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली से प्रशिक्षित एवं संभाग के वरिष्ठ रंगकर्मी पंकज दुबे ने उक्ताशय की जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रतियोगिता दो वर्गों में होगी। आयु की गणना एक जनवरी 2026 की स्थिति के आधार पर की जाएगी। कनिष्ठ वर्ग में 8 से 15 वर्ष तथा वरिष्ठ वर्ग में 16 से 25 वर्ष तक के प्रतिभागी शामिल होंगे। दोनों वर्गों मे प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 10 हजार, द्वितीय को 5 हजार तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 3 हजार रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे। आयोजन से संबंधित आवेदन पत्र, नियमावली एवं अन्य जानकारी समाचार पत्र, पंपलेट और प्लेक्स के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। प्रतिभागी क्षेत्रीय सहयोगी रंगकर्मी प्रकाश राव से 8878010024 तथा अरुण द्विवेदी से 8770191637 पर संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए तंवा11224/हउपस.बवउ पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के चयनित प्रतिभागी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता मे शामिल होंगे। राज्य स्तरीय आयोजन सितंबर के अंतिम सप्ताह मे इंदौर मे प्रस्तावित है। इसकी तिथि प्रतिभागियों को समय पर सूचित की जाएगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में वरिष्ठ वर्ग में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को क्रमशः 25 हजार, 20 हजार और 15 हजार रुपये तथा कनिष्ठ वर्ग मे क्रमशः 21 हजार, 15 हजार और 10 हजार रुपये पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता का निर्णय प्रशिक्षित एवं अनुभवी निर्णायकों द्वारा किया जाएगा।



मानपुर। डिजिटल इंडिया और सुशासन के बड़े-बड़े विज्ञापनों की जगमगाती दुनिया के बीच, मानपुर तहसील कार्यालय जमीनी हकीकत का एक ऐसा चेहरा पेश कर रहा है, जो प्रशासनिक अनदेखी का जीवंत नमूना है। शहडोल मार्ग पर स्थित इस तहसील कार्यालय में प्रतिदिन इंदवार, पनपथा, चंसुरा, चंदवार, दमोय और भरेवा जैसे दूर-दराज के गांवों से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की कठिन दूरी तय करके सैकड़ों ग्रामीण अपने राजस्व, भूमि और अन्य प्रशासनिक कार्यों के सिलसिले में पहुंचते हैं, लेकिन कार्यालय परिसर में प्रवेश करते ही उनका सामना एक ऐसी अव्यवस्था से होता है, जहां बुनियादी मानव आवश्यकताओं का भी कोई स्थान नहीं है।

अधूरे शौचालय की दीवारें और कागजी विकास का दंभ

कार्यालय परिसर में प्रवेश करने वाले किसी भी नागरिक को सबसे पहले जो बात खटकती है, वह है शौचालय की मुकम्मल व्यवस्था का न होना। बरसों पहले स्वीकृत हुए शौचालय का निर्माण आज भी अधूरा लटका हुआ है। यह अधूरा ढांचा किसी ऐतिहासिक स्मारक की भांति खड़ा होकर उस प्रशासनिक सुस्ती की याद दिलाता है, जिसके तहत सार्वजनिक धन और समय की कोई कीमत नहीं समझी जाती। विशेष रूप से महिला हितग्राहियों, बुजुर्गों और दूर-दराज से आने वाले किसानों के लिए यह स्थिति न केवल असुविधाजनक है, बल्कि उनके आत्मसम्मान पर भी सीधा आघात है। नगर परिषद की



प्रमारी कलेक्टर एवं अपर कलेक्टर ने जनसुनवाई में सुनी 125 आवेदकों की समस्याएं

उमरिया। साप्ताहिक जनसुनवाई कार्यक्रम में प्रभारी कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह तथा अपर कलेक्टर प्रमोद कुमार सेन गुप्ता ने जिले के दूर दराज से आए 125 आवेदकों की समस्याओं को सुना तथा आवेदनों के निराकरण के लिए आवेदन संबंधित विभाग की ओर प्रेषित किया तथा विभागीय अधिकारियों को समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में कृष्णम लोनी खलौंध ने आधार कार्ड सुधारवाने, ओमनंद, सचिन श्रीवास्तव उमरिया ने लंबित वेतन का भुगतान कराने, धूपा बाई महुरी ने पात्र होने के बाद भी पीएम आवास योजना का लाभ नही मिलने, शिव कुमारी यादव पार्षद वार्ड क्रमांक 13 चंदि्या ने बावली का सौंदर्यीकरण कराने, मिथला महोबिया करकेली ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने, त्रिलोकी नाथ, सुदामा, शंकर, राम ललन, सुबोध

सहित अन्य ग्रामीण निवासी सेहराटोला ने जला हुआ ट्रांसफार्मर बदलवाने, रानी पाल, सोहन लाल, सुंदरलाल, मुकेश, आरती, काजल, सागर आदि निवासी उमरिया ने वार्ड नंबर 5 ने पार्इप लाइन एवं नाली निर्माण कराने तथा हैंडपंप से दूषित पानी निकलने, धन्नु बेगा महराई ने वृध्दावस्था पेंशन दिलाने, गोकुल केवट गोवर्दे ने सहखाते की भूमि से बंटवारा कराने, तीरथ प्रसाद द्विवेदी, राम रूप, राम दीन, सरोज बाई सहित निवासी ग्राम बरा के ग्रामीणों ने विद्यालय में पानी हेतु ट्युबवेल खनन की अनुमति दिए जाने संबंधी आवेदन दिया। प्रभारी कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को समुचित कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। जन्सुनवाई में एसडीएम बांधवगढ अंबिकेश प्रताप सिंह, डिप्टी कलेक्टर कमलेशी नीरज, प्रिया अग्रवाल, तहसीलदार बांधवगढ दिलीप सोनी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

महंगाई की मार में गणेश प्रतिमाएं, 1500 से 50 हजार तक कीमत गणेश चतुर्थी को लेकर मूर्तिकार दिन-रात जुटे, बंगाल से आए कारीगरों ने सजाया मुखर्जी चौक



कोतमा। गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक आते ही नगर में भगवान गणेश की प्रतिमाओं का बाजार सजने लगा है। मुखर्जी चौक के समीप बंगाल से आए मूर्तिकार और उनके कर्मचारी दिन-रात मिट्टी से गणेश प्रतिमाओं को आकार देने और उन्हें अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। छोटी से लेकर बस फीट तक की रंग-बिरंगी प्रतिमाएं तैयार होकर श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही हैं। कई लोग प्रतिमाओं की खरीदारी के साथ पहले से पसंद की गई मूर्तियों की बुकिंग भी करा रहे हैं। मूर्तिकारों के अनुसार इस वर्ष गणेश प्रतिमाओं की कीमत 1500 रुपए से लेकर 50 हजार रुपए तक है। आकार, सजावट और श्रृंगार के अनुसार प्रतिमाओं के दाम अलग-अलग हैं। महंगाई का असर प्रतिमा निर्माण पर भी पड़ा है। मिट्टी जुटाने से लेकर रंग, श्रृंगार और अन्य सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण इस बार लागत बढ़ गई है।

तीन-चार माह पहले शुरू कर देते हैं तैयारी

पश्चिम बंगाल से पिछले 31 वर्षों से कोतमा

शहडोल, उमरिया, अनूपपुर-आसपास हरिभूमि 6

मानपुर तहसील कार्यालय: व्यवस्था के खोखले दावों की खुली पोल

मूलभूत सुविधाओं को तरसते दूर-दराज के ग्रामीण



सीमा के अंतर्गत आने के बावजूद, एक ऐसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान पर जहां दैनिक आधार पर जनसैलाब उमड़ता है, स्वच्छता की यह उपेक्षा स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद के बीच तालमेल के पूर्ण अभाव को दर्शाती है।

सील हुआ हैंडपंप और ग्रामीणों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ

पेयजल की स्थिति भी इससे भिन्न नहीं है। कार्यालय परिसर में कहने को एक हैंडपंप स्थापित किया गया है, परंतु उसे ढककर उपयोग से बाहर कर दिया गया है। भीषण गर्मी हो या अनिश्चित बरसात का मौसम, काम के सिलसिले में घंटों इंतजार करने वाले ग्रामीणों के लिए पीने के पानी की कोई सरकारी व्यवस्था मौजूद नहीं है। परिणामस्वरूप, अपनी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा परिवहन पर खर्च करके आने वाले गरीब ग्रामीणों को अपनी प्यास बुझाने के लिए पास की निजी दुकानों से बोतल बंद या डिब्बाबंद पानी खरीदने पर मजबूर होना पड़ता है। प्रशासनिक लापरवाही का यह प्रत्यक्ष असर सीधे तौर पर आम नागरिक की जेब पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ के रूप में पड़ रहा है।

नौसम की मार और आश्रय स्थल का अभाव

तहसील परिसर में आने वाले लोगों के लिए बैठने या बारिश से बचने के लिए भी पर्याप्त शेड या आश्रय स्थल की व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में जारी मानसूनी बारिश के

उप-मुख्यमंत्री का प्रभार, फिर भी वेंटिलेटर पर क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं!

मानपुर में दिया तले अंधेरा

मानपुर। मध्यप्रदेश सरकार भले ही सुबे में स्वास्थ्य सुविधाओं के कायाकल्प और हाई-टेक इलाज के लाख ढोल पीट ले, लेकिन मानपुर ब्लॉक में कदम रखते ही इन तमाम गुलाबी दावों की हवा निकल जाती है। विश्वप्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और बाणसागर बांध से सटे इस आदिवासी बहुल और मानपुर विधानसभा मुख्यालय में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल ऐसा है, मानो पूरा तंत्र खुद आईसीयू में सांसे गिन रहा हो। दशकों से सत्ता का स्वाद चखने वाले इस क्षेत्र की जनता आज बुनियादी इलाज तक को तरस रही है।

35 अस्पतालों की इमारतें बुलंद, पर डॉक्टर गायब!

मानपुर ब्लॉक का स्वास्थ्य ढांचा कागजों पर बेहद मजबूत नजर आता है। यहां 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और करीब 40 उप-स्वास्थ्य केंद्र की विशाल इमारतें सीना ताने खड़ी हैं, लेकिन इन भव्य भवनों की कड़वी सच्चाई यह है कि इमारत तो है, लेकिन अंदर इलाज गायब है। पूरे ब्लॉक की विशाल आबादी के स्वास्थ्य का जिम्मा सिर्फ 3 डॉक्टरों के भरोसे छोड़ दिया गया है। विडंबना देखिए कि इन्हीं तीन में से एक डॉक्टर साहब के कंधों पर बीएमओ (ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर) का प्रशासनिक बोझ भी लाद दिया गया है। ऐसे में डॉक्टर मरीज देखें या फाइलें निपटाएं, यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है।

20 साल से महिला डॉक्टर का अकाल

बेटी बचाओ और मातृ-शिशु सुरक्षा के बुलंद नारों के बीच मानपुर का दुर्भाग्य देखिए कि बीते 20 वर्षों से यहां एक भी नियमित



महिला चिकित्सक (स्त्री रोग विशेषज्ञ) की पदस्थापना नहीं हो सकी है। यही नहीं, क्षेत्र में एक भी शिशु रोग विशेषज्ञ तैनात नहीं है। प्रसव पीड़ा से तड़पती ग्रामीण महिलाएं और गंभीर रूप से बीमार नौनिहाल, झोलाछाप डॉक्टरों के भरोसे हैं या फिर 50 से 100 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल भागने को मजबूर हैं। रास्ते में ही दम तोड़ते मरीज सरकार के इन खोखले दावों पर सबसे बड़ा तमाचा हैं।

उप-मुख्यमंत्री के प्रभार में बदहाल मानपुर का प्रारब्ध

राजनैतिक चुटकी लें तो मानपुर की स्थिति दिया तले अंधेरे जैसी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि रीवा निवासी हैं और वर्तमान में राज्य के उप-मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं, वे पछोसी जिले शहडोल के प्रभारी मंत्री भी हैं। मानपुर विधानसभा से दशकों से



मौसम में, जब ग्रामीण अपने दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की जद्दोजहद कर रहे होते हैं, तब सिर छुपाने की जगह न होना उनकी समस्याओं को दुगुना कर देता है। दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले वृद्ध और किसान, जो सुबह से शाम तक अपने प्रकरणों की सुनवाई का इंतजार करते हैं, वे खुले में या निजी परिसरों के छज्जों के नीचे खड़े रहने को विवश हैं।

स्थानीय प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग

ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों ने इस बदहाली पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। क्षेत्रवासियों ने कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय से मांग की है कि वह इस मामले का संज्ञान लेते हुए मानपुर तहसील कार्यालय का निरीक्षण करें और परिसर में निष्क्रिय पड़े हैंडपंप को तुरंत चालू कराया जाए अथवा वाटर कूलर/आरओ सिस्टम स्थापित कर स्वच्छ पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। वर्षों से लंबित पड़े शौचालय कक्ष के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराकर उसे आम जनता के लिए संचालित किया जाए। तहसील परिसर में दूर-दराज से आने वाले हितग्राहियों के बैठने और मौसम की मार से बचने के लिए एक सर्वसुविधायुक्त प्रतीक्षालय (वेंटिंग शेड) का निर्माण किया जाए। मानपुर तहसील कार्यालय की यह स्थिति केवल बुनियादी सुविधाओं के अभाव का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह इस बात का भी प्रमाण है कि किस तरह प्रशासनिक उपेक्षा आम जनता के दैनिक जीवन को कठिन बनाती है।

उप-मुख्यमंत्री का प्रभार, फिर भी वेंटिलेटर पर क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं!

गंभीर मरीज आते ही अस्पताल उसे तुरंत रेफर कर अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर लेता है। अस्पतालों में फटे-पुराने कंबल, गंदे गद्दे, खराब बीपी मशीनें और दूषित पेयजल अब स्थानीय लोगों की नियति बन चुके हैं।

जमीन विवाद में उलझा

अस्पताल भवन

मानपुर को सिविल अस्पताल का दर्जा देने की मांग लंबे समय से उठ रही है, लेकिन प्रशासनिक इच्छाशक्ति के अभाव में यह फाइल ठंडे बस्ते में धूल फांक रही है। वर्तमान में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन बरसों पुराना है और विवादित भूमि पर स्थित होने के कारण नए सर्वसुविधायुक्त निर्माण की राह में रोड़ा बना हुआ है। क्षेत्रीय जनता की मांग है कि अस्पताल भवन को मानपुर बाईपास या उमरिया रोड के पास स्थानांतरित कर जल्द से जल्द 100 बिस्तरों वाले आधुनिक अस्पताल का निर्माण कराया जाए।

जिले भर में 80 प्रतिशत पद खाली

अकेले मानपुर ही नहीं, पूरे उमरिया जिले की तस्वीर डरावनी है। जिले में डॉक्टरों के स्वीकृत 127 पदों के मुकाबले मात्र 23 डॉक्टर पदस्थ हैं। यानी 100 से अधिक पद खाली पड़े हैं। स्थानीय जन-प्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा समय-समय पर पत्राचार का दावा तो किया जाता है, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात ही रहता है। अब देखना यह है कि क्या प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग मानपुर की इस सिसकती स्वास्थ्य व्यवस्था पर मरहम लगाएगा, या फिर ग्रामीणों को यूं ही राम भरोसे छोड़ दिया जाएगा?

जनसमस्याओं को लेकर शिवसेना का कलेक्टर कार्यालय पर हल्ला बोल

बदरा/जमुना। जिले की विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर शिवसेना ने प्रशासन के समक्ष मोर्चा खोलते हुए कलेक्टर रत्नाकर झा को 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। शहडोल संभाग अध्यक्ष पवन पटेल के निर्देश पर जिला अध्यक्ष राजेश महाराणा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में जनहित से जुड़े गंभीर मुद्दों की तत्काल जांच कर संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। शिवसेना ने ज्ञापन में एसईसीएल की जमीन पर कथित अवैध कब्जे, पर्यार-केवई-गोविंदा-कोतमा मार्ग की जर्जर हालत, वार्ड क्रमांक 9 में

जलभराव, जमुना-परासी मार्ग की बदहाली, बिजुरी के वार्ड क्रमांक 14 एवं 15 में नाली का गंदा पानी घरों में घुसने तथा जैतहरी पावर प्लांट से निकलने वाले ओवरलोड राखड़ डंपरों के संचालन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। इसके अलावा नीलकंठ एवं अदानी कंपनियों से जुड़े स्थानीय रोजगार और परिवहन के मुद्दे भी ज्ञापन में शामिल रहे। शिवसेना ने स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्रार्थमिकता देने, बाहरी श्रमिकों की नियुक्ति की जांच करने तथा बिना नंबर के संचालित वाहनों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं भालुमाड़ा, कोतमा और बिजुरी क्षेत्र में कथित अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग भी की गई। ज्ञापन में नारायण सिंह द्वारा एसईसीएल की शासकीय भूमि पर कथित अवैध निर्माण की जांच और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच, जर्जर सड़कों की तत्काल मरम्मत, जलभराव की स्थायी निकासी व्यवस्था, ओवरलोड राखड़ वाहनों पर कार्रवाई तथा कंपनियों में स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने जैसी मांगें रखी गईं। शिवसेना ने प्रशासन से सभी मामलों की



निष्पक्ष जांच कर समयबद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि सड़क, जलभराव, रोजगार, परिवहन और अवैध शराब जैसी समस्याओं का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है, इसलिए प्रशासन को इन मामलों में प्रभावी हस्तक्षेप करना चाहिए। पवन पटेल ने कहा कि अनुूपुर जिले से लगातार जनता की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने कहा कि म्स् की जमीन पर कब्जे, परासी-जमुना मार्ग की बदहाली, बिजुरी में नाली के पानी और अवैध शराब बिक्री सहित अन्य मुद्दों की जानकारी लेकर जिला इकाई को कलेक्टर के समक्ष ज्ञापन सौंपने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को लेकर शिवसेना चुप नहीं बैठेगी और जरूरत पड़ने पर आगे भी आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपते समय शहडोल जिला अध्यक्ष शिव चक्रवर्ती, भीम महारा, समीर कोल, नरेंद्र सिंह, प्रकाश महारा, लखन केवट, किशन साहस, विवेक गुप्ता सहित शिवसेना के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।



खबर संक्षेप

आबकारी विभाग ने हाथ मट्टी मटिरा, महुआ लाहन किया जप्त



उमरिया। कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय ने अवैध मदिरा के विनिर्माण,संग्रहण, विक्रय,एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा शासन के राजस्व हित,जनस्वास्थ्य तथा लोकहित की दृष्टि से विविध अभियान संचालित करने के निर्देश दिए थे। निर्देश के परिपालन में जिला आबकारी अधिकारी ममता अहिरवार के मार्गदर्शन में आबकारी वृत्त-मानपुर एवं वृत्त जौरीजाबाद के गाम ताला,चिल्हारी, महरौई, खेरवा,पतझा,देवगांव, बंधवाटोला,चंगेरा में कुल 25 लीटर हाथमट्टी मदिरा, 690 कि.गाम महुआ लाहन जप्त कर कुल 14 प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत कायम कर विवेचना में लिया गया। जप्त शराब की अनुमानित कीमत लगभग रुपये 72750 आंकलित की गई है। आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के संबंध में लगातार सूचनाएं एकत्रित करते हुए निरंतर कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक सुश्री पिंकी हिन्दूजा एवं आबकारी उपनिरीक्षक श्री अमितेश सिंह के नेतृत्व में की गई साथ ही आबकारी मुख्य आरक्षक अवध प्रताप सिंह बघेल ,आबकारी आरक्षक विद्या सिंह, आबकारी आरक्षक राजपति प्रजापति एवं आबकारी आरक्षक अंजलि गौतम कार्यवाही में सम्मिलित रहें।

विधायक मीना सिंह के विकास कार्यों से बदली क्षेत्र की तस्वीर : भाजपा नेता कालिका बहादुर सिंह



बिरसिंहपुर पाली। मध्यप्रदेश के मानपुर विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी की पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान में लगातार 6-वीं बार की विधायक सुश्री मीना सिंह जी पाली नगर के दौरे पर रही इस दौरान उन्होंने वार्ड क्रमांक 12 एवम 13 के लोगों से उनके घर जाकर लोगों से मुलाकात की है। जहाँ उन्होंने वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व पार्षद श्री कालिका बहादुर सिंह पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष संध्या बहादुर सिंह जी के निवास पर पहुंचकर उनसे शिष्टाचार भेंट की और क्षेत्रीय विकास को लेकर चर्चा की। इस दौरान क्षेत्र वार्ड के लोगों ने अपनी समस्याएं बताईं। जिस पर विधायक सुश्री मीना सिंह जी ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल फोन पर निर्देशित करने और जल्द से जल्द समाधान कराने को कहा है।

पत्रकार के घर पहुंची विधायक,विकाश को लेकर हुई चर्चा

जनसंपर्क के बाद विधायक सुश्री मीना सिंह जी पाली के वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण तिवारी के निवास पर पहुंची। विधायक जी ने पत्रकार के परिवारजनों से आत्मीयता के साथ मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। पत्रकार प्रवीण तिवारी ने पाली क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों से विधायक को अवगत कराया। विधायक सुश्री मीना सिंह का यह सहज और सरल अंदाज देखकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखा गया। यही कारण है क्षेत्र की जनता ने उन्हें 6-वीं बार विधायक बनाया है और अब लोग कह रहे हैं आगामी चुनाव में दीदी 7-वीं बार विधायक बनेंगी और हम सभी लोग फिर से उन्हें मंत्री के रूप देखना चाहते हैं। बता दें कि पत्रकार प्रवीण तिवारी ने विधायक जी के इस आत्मीय मुलाकात को लेकर पत्रकार परिवार ने आभार व्यक्त किया है।

सखी सहेली ग्रुप की महिलाओं ने देखी ‘हनुमान अंश’ फिल्म

राजनगर। नगर परिषद बनगवां (राजनगर) की सखी सहेली ग्रुप की महिलाओं ने बुधवार को कोतमा स्थित जॉय सिनेप्लेक्स टॉकीज में भक्ति भाव से जुड़ी फिल्म ‘हनुमान अंश’ देखी। फिल्म को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह नजर आया। फिल्म देखने के लिए मध्यप्रदेश शासन के मंत्री दिलीप जायसवाल, श्रीमती अर्चना जायसवाल एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्रीमती ज्योति सोनी भी शामिल हुईं। इस अवसर पर राजनगर, गौरधर एवं बिजुरी क्षेत्र की सखी सहेली ग्रुप की बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। फिल्म देखने के दौरान महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ समय बिताया और फिल्म के धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रसंगों की सराहना की।

कम राजस्व वसूली पर जताई नाराजगी, कर्मचारियों पर कार्यवाही के दिये निर्देश

हरिभूमि न्यूज़ ►► कटनी

नगर निगम आयुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने सोमवार को एमआईसी सभागार में समय-सीमा की बैठक लेकर शासन की प्राथमिक योजनाओं, जनहित से जुड़े कार्यों एवं विभिन्न शाखाओं के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के 50 दिवस से अधिक पुराने प्रकरण, राजस्व वसूली, रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन, निर्माण कार्य एवं

योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने निर्देश दिए।

नगर विकास हेतु मीट मार्केट, डेयरी विस्थापन, पेयजल आपूर्ति, सब्जी मंडी, बस स्टैंड एवं आईएसबीटी सहित महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर निगमायुक्त ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित सहायक यंत्रियों एवं उपयंत्रियों को गुरुवार तक आवश्यक कार्रवाई कर अद्यतन प्रगति प्रस्तुत करने के निर्देश

दिए। उन्होंने कहा कि नगर के चहुंमुखी विकास के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग कर उन्हें समय पर पूरा कराया जाए। अनावश्यक विलंब की स्थिति में संबंधितों की जवाबदेही तय की जाएगी।

लापरवाही पर होगी कार्रवाई

वाडों में स्वच्छता मित्रों की उपस्थिति की समीक्षा के दौरान कुछ वाडों में उपस्थिति 90 प्रतिशत से कम पाए जाने

पर निगमायुक्त ने संबंधित वार्ड दुरोगाओं को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर की सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। अनुपस्थित कर्मचारियों की गिरानाई एवं उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं किए जाने पर स्वास्थ्य अधिकारी के प्रति भी नाराजगी व्यक्त की गई। लंबे समय से अनुपस्थित कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित करने के निर्देश दिए गए।

राजस्व वसूली बढ़ाने डोर-टू-डोर संपर्क करें

राजस्व वसूली की समीक्षा में कम वसूली पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कम वसूली वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित करने के निर्देश दिए गए। जलकर राहत योजना के शेष तीन दिनों में बकायदार उपभोक्ताओं से डोर-टू-डोर संपर्क कर अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को योजना का लाभ दिलाने को कहा गया।



विधायक मरावी ने बुडार शासकीय सीनियर उत्कृष्ट आदिवासी बालक छात्रावास का किया निरीक्षण



सुविधाओं और शिक्षा से जुड़े विषयों पर छात्रावास अधीक्षक विश्वनाथ त्रिपाठी से भी चर्चाएँ की। उन्होंने कहाकि - विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण और अवसर पर विधायक श्री मरावी ने छात्रावास प्रबंधन को विद्यार्थियों की



जिले के सभी 14 थानों में 'साइबर डेस्क' की शुरुआत: अब ठगी की शिकायत के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे एसपी कार्यालय के चक्कर

बुडार। जिले के नागरिकों को साइबर अपराधों से तुरंत राहत दिलाने और ऑनलाइन ठगों पर शिकंजा कवरने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक बड़ी पहल की है। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक डॉ.संजय कुमार जायसवाल ने बुडार थाने में फीता काटकर 'साइबर डेस्क' का विधिवत शुभारंभ किया। इस नई व्यवस्था के तहत 8 सितंबर से जिले के सभी 14 थानों में एक साथ 'साइबर हेल्प डेस्क' कार्य करना शुरू कर देगी साथ ही सम्बंधित थाना क्षेत्र पर ही एफआईआर दर्ज कराई जावेगी।

थाना स्तर पर ही तुरंत होगी कार्रवाई

मीडिया को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय कुमार जायसवाल ने बताया कि अक्सर ऑनलाइन ठगी या साइबर फ्रॉड का शिकार होने पर आम जनता को शिकायत दर्ज कराने के लिए जिला मुख्यालय स्थित साइबर सेल के चक्कर लगाने पड़ते थे। इस नई पहल के बाद अब पीड़ितों को अपने नजदीकी थाने में ही त्वरित मदद मिल सकेगी। साइबर अपराधों से संबंधित मामलों में थाना स्तर पर ही तत्काल एक्शन लिया जाएगा।

हर थाने में दो विशेष पुलिसकर्मी तैनात

साइबर डेस्क को सुचारू रूप से चलाने और शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए एसपी ने प्रत्येक थाने में दो-दो विशेष पुलिसकर्मियों को नियुक्त किया है। ये पुलिसकर्मी साइबर अपराधों से निपटने के लिए प्रशिक्षित होंगे और पीड़ितों की शिकायत दर्ज कर तकनीकी जांच आगे बढ़ाएंगे।



कार्यक्रम के दौरान अमलाई थाना प्रभारी भूपेंद्र मणि पांडेय, बुडार नगर निरीक्षक संजय कुमार जायसवाल सहित स्थानीय पुलिस बल और बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी उपस्थित रहे।

ग्रीन गणेश अभियान के तहत छात्राओं ने गढ़ी पर्यावरण हितैषी गणेश प्रतिमाएं

गोबर और प्राकृतिक मिट्टी से प्रतिमा निर्माण कर दिया जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा का संदेश

बिरसिंहपुर पाली। धार्मिक आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन के तत्वावधान में ग्रीन गणेश अभियान के अंतर्गत शासकीय कन्या शिक्षा परिसर, बिरसिंहपुर पाली में प्रतिमा निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम जिला कलेक्टर राखी सहाय एवं जिला पंचायत सीईओ अभय सिंह ओहरिया के मार्गदर्शन में युवा टीम उमरिया तथा लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट वॉलंटियर्स द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए गोबर और शुद्ध प्राकृतिक मिट्टी से भगवान श्रीगणेश की आकर्षक एवं पर्यावरण हितैषी प्रतिमाएं तैयार कीं। छात्राओं ने प्रतिमा निर्माण की बारीकियां सीखने के साथ यह संदेश भी दिया कि आस्था और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलना समय की आवश्यकता है।



विद्यालय की प्राचार्य सरिता गुप्ता ने कहा कि इस प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के साथ उन्हें भारतीय कला, संस्कृति और परंपराओं से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रीन गणेश अभियान विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक, उपयोगी और प्रेरणादायी पहल है।

इस अवसर पर युवा टीम अध्यक्ष हिमांशु तिवारी ने छात्राओं को अभियान के उद्देश्यों

की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और रासायनिक रंगों से निर्मित प्रतिमाओं के विसर्जन से जलस्रोत प्रदूषित होते हैं तथा जलीय जीवों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत प्राकृतिक मिट्टी और जैविक सामग्री से बनी प्रतिमाएं पर्यावरण के लिए सुरक्षित होती हैं। उन्होंने लोगों से मिट्टी की प्रतिमाओं को अपनाने और विसर्जन के लिए घर पर ही जलपात्र या गमले का उपयोग करने की अपील की।

उन्होंने कहा, “हमारी आस्था तभी सार्थक होगी, जब उसके साथ प्रकृति की रक्षा का संकल्प भी जुड़ा हो। मिट्टी के श्रीगणेश अपनाकर प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।” प्रशिक्षण के दौरान छात्राओं ने प्राकृतिक सामग्री से प्रतिमा निर्माण की पूरी प्रक्रिया सीखी और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। छात्राओं ने कहा कि ऐसे अभियान धार्मिक परंपराओं को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के साथ समाज में सकारात्मक जागरूकता फैलाने का प्रभावी माध्यम है।कार्यक्रम में प्राचार्य सरिता गुप्ता, शिक्षिका अरिता गुप्ता, रामकरण गर्ग, दीपक मिश्रा, सीमा, रिया, मनीष मेहरा, वेदू सिंह एवं प्रिया सिंह सहित युवा टीम उमरिया से हिमांशु तिवारी, राहुल सिंह, अभिनव द्विवेदी एवं रुद्र प्रधान उपस्थित रहे। कार्यक्रम में छात्राओं हिरिया धुर्वे, नीलम मालवी, अंजना सेनाम, सिमरती दुबे, खुशबू सिंह, प्रिया सिंह, वर्षा सिंह, प्रीति सिंह, पंकज सिंह, निशा सिंह, रजनीका कुशवाह, सोनाक्षी द्विवेदी, सुशील सिंह, आराध्या देवी एवं वर्षा दुबे सहित अन्य छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

निलंबित सीएसपी एवं सहयोगियों की संपत्ति कुर्क करने एवं सीबीआई जांच की मांग



हाईकोर्ट में आरोपी क्षितिज, निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया और मारुफ की कोई अग्रिम जमानत याचिका विचाराधीन या लंबित नहीं है। इसके तहत फरार आरोपियों को भगोड़ा घोषित करने का इशतहार जारी करने और उनकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया गया है।

मामले की जांच कर रही विशेष

जांच टीम (एसआईटी) आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हाईकोर्ट में रिट याचिका (डब्ल्यूपी/36337/2026) भी दायर की गई है। याचिका के जरिए पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। फरियादी के वकील ने अदालत से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 84 से 88 के तहत कार्रवाई करने की अपील की है। इसके तहत फरार आरोपियों को भगोड़ा घोषित करने का इशतहार जारी करने और उनकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया गया है।

गौरतलब है कि भोपाल सतर्कता शाखा की शिकायत और जबलपुर जोन के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर 19 अगस्त को दर्ज हुई कुठला थाने में धोखाधड़ी, पद के दुरुपयोग और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 82 लाख 86 हजार रुपये मूल्य की जमीन पर दबाव बनाकर उसे महज 18 लाख 20 हजार रुपये में अपने करीबियों के नाम करा लिया। मामले की जांच के लिए आठ सदस्यीय विशेष जांच टीम का गठन किया गया है, जो आरोपों और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।

फरियादी के वकील ने न्यायालय में लगाया आवेदन

हरिभूमि न्यूज़ ►► कटनी

लाखों रुपये की जमीनी धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रही निलंबित नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसिया और उनके सहयोगियों की संपत्ति कुर्क करने के लिए फरियादी आकाश लोधी के वकील अवनोश तिवारी ने सोमवार को कटनी जिला न्यायालय में आवेदन दिया। उन्होंने अदालत से फरार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

फरियादी के वकील ने अदालत को बताया कि कटनी जिला न्यायालय आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं पहले ही खारिज कर चुका है। वर्तमान में मध्यप्रदेश



रहा है। परिसर में कचरा संग्रहण के लिए ट्रॉली रखवाने की मांग की। जापान में बताया गया कि वाडों में निर्धारित समय पर नियमित रूप से पेयजल की सप्लाई नहीं की जाती है। इससे ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ता है। युवाओं ने गांव में जर्जर हालत में पड़ी नालियों की मरम्मत कराने और

उनकी नियमित सफाई कराने की मांग भी रखी। इसके अलावा क्यूली श्मशान घाट में अधूरी पड़ी बाउंड्रीवॉल का निर्माण पूरा कराने, गेट लगवाने और परिसर की साफ-सफाई कराने की मांग की गई। युवाओं की समस्याएं सुनने के बाद सरपंच अटल ब्यूहार ने जल्द निराकरण कराने का आश्वासन दिया।



खबर संक्षेप

सशस्त्र सेना झंडा दिवस
निधि में लक्ष्य से अधिक
योगदान पर कलेक्टर
सम्मानित



अनूपपुर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि वर्ष 2024-25 में निर्धारित लक्ष्य से अधिक राशि एकत्रित कर सराहनीय योगदान देने पर कलेक्टर रत्नाकर झा को प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। शहडोल के सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल अरुण शुक्ला एवं कल्याण सेंजोजक विशाल आमने ने कलेक्टर रत्नाकर झा को प्रशंसा पत्र भेंट किया। सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि के लिए अनूपपुर जिले की वर्ष 2024-25 में 3 लाख 63 हजार रुपये का योगदान किया गया था। जिले ने इस लक्ष्य को पार करते हुए 4 लाख 23 हजार 550 रुपये की राशि एकत्रित की। इस तरह जिले ने निर्धारित लक्ष्य से 60 हजार 550 रुपये अधिक का योगदान दिया। जिले की इस उपलब्धि पर सैनिक कल्याण विभाग की ओर से जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की गई। अधिकारियों ने कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में दिया गया योगदान देश की रक्षा में सेवाएं देने वाले सैनिकों तथा उनके परिवारों के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

नगरीय निकायों के
उपचुनाव आगामी आदेश
तक स्थगित

अनूपपुर। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों के उपचुनाव वर्ष 2026 (पूर्वाध) को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। इस संबंध में आयोग ने 7 सितंबर 2026 को आदेश जारी किया है। आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 23 को नियम 11-क के साथ पढ़े जाने के क्रम में नगरीय निकायों के उपचुनाव अब नये सिरे से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराए जाएंगे। उपचुनाव के लिए संशोधित कार्यक्रम आयोग द्वारा आगामी आदेश में जारी किया जाएगा।

माटी गणेश-सिद्ध गणेश
अभियान के तहत मिट्टी
की प्रतिमा बनाने का
प्रशिक्षण



अनूपपुर। पर्यावरण संरक्षण और जनजागोसदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड कोतमा द्वारा “माटी गणेश-सिद्ध गणेश” अभियान के अंतर्गत मिट्टी से पर्यावरण हितैषी गणेश प्रतिमाओं के निर्माण की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में प्रतिभागियों को मिट्टी से गणेश प्रतिमा तैयार करने की विधि का प्रशिक्षण दिया गया। यह आयोजन मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बीएसडब्ल्यू एवं एसएसडब्ल्यू कक्षाओं के संचालन तथा जवाबद्वार एवं प्रस्यूटन समितियों के सहयोग से किया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य गणेश उत्सव के दौरान पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं के उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक करना रहा।

शिकायतों का समाधान नहीं हुआ तो युवाओं ने चुना आंदोलन का रास्ता, प्रशासन को घेरा
नई पीढ़ी के अंदाज में सड़क पर उतरे आदिवासी छात्र, चार घंटे चक्काजाम

रीवा-अमरकंटक मार्ग पर लगी वाहनों की लंबी
कतार, बोले छात्र- पहले शिकायत, फिर संघर्ष

अनूपपुर। जिले के पुष्परजगढ़ में रीवा-अमरकंटक मुख्य मार्ग पर आदिवासी छात्र-छात्राओं का करीब चार घंटे तक चला चक्काजाम महज यातायात रोकने की घटना नहीं रहा, बल्कि उसने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए। छात्रावास परिसर में कथित अवैध गेट एवं बाउंड्रीवाल निर्माण और जबरन कब्जे के आरोप को लेकर छात्रों का कहना है कि वे कई बार प्रशासन को शिकायत और ज्ञापन दे चुके थे, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार जब शिकायतें सड़क पर पहुंचीं तो प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। नायब तहसीलदार की मौजूदगी में बातचीत हुई और गेट निर्माण पर रोक लगाई गई। अब सवाल यह है कि जिस कार्रवाई की जरूरत सड़क जाम के बाद महसूस हुई, वह शिकायत मिलने के बाद क्यों नहीं हो सकी?

नई पीढ़ी का सीधा सवाल-कार्रवाई कब ?

छात्रों के आंदोलन के बाद प्रशासन की सक्रियता ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है क्या किसी शिकायत पर कार्रवाई के लिए सड़क पर उतरना जरूरी है? नई पीढ़ी का नजरिया काफी सीधा है। शिकायत की, जवाब चाहिए समस्या बताई, समाधान चाहिए और यदि कार्रवाई हो रही है तो उसकी जानकारी भी चाहिए। इसी सोच के साथ छात्रों ने प्रशासन से अपने मामले में स्पष्ट कार्रवाई की मांग की है।

फाड़लों में दबती शिकायतें, सड़क पर फूटा आक्रोश

लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी समस्या के समाधान के लिए आवेदन और शिकायत पहला माध्यम होते हैं। सड़क पर उतरना अंतिम कदम माना जाता है। छात्रों का दावा है कि छात्रावास परिसर

14 कक्ष वाले जिला न्यायालय भवन के निर्माण को मिली प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद शासन ने जारी किया स्वीकृति आदेश

अधिवक्ता दीपक पांडे व वासुदेव चटर्जी की
याचिका के बाद तेज हुई प्रक्रिया

अनूपपुर। जिला बनने के 23 वर्ष बाद अनूपपुर के नए जिला न्यायालय भवन के निर्माण का रास्ता अब पूरी तरह साफ होता दिखाई दे रहा है। मध्यप्रदेश शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने 7 सितंबर 2026 को जारी आदेश में 14 न्यायालय कक्ष वाले नवीन जिला न्यायालय भवन के निर्माण के लिए 44 करोड़ 85 लाख रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। भवन का निर्माण लोक निर्माण विभाग की एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। न्यायालय भवन निर्माण का मामला वर्ष 2003 में अनूपपुर जिला बनने के बाद से ही लंबित था। सुविधाओं के अभाव में वर्तमान न्यायालय परिसर में न्यायिक कार्य संचालित हो रहे थे। लंबे समय से लंबित इस मामले को लेकर अधिवक्ताओं की ओर से भी लगातार प्रयास किए जाते रहे। अधिवक्ता दीपक पांडे और अधिवक्ता वासुदेव चटर्जी द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर किए जाने के बाद मामले में महत्वपूर्ण प्रगति हुई।

केंद्र से 15.52 करोड़, राज्य योजना से 29.32 करोड़

शासन के स्वीकृति आदेश के अनुसार भवन निर्माण के लिए कुल 44 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत 15 करोड़ 52 लाख 92 हजार 326 रुपए तथा शेष 29 करोड़ 32 लाख 7 हजार 674 रुपए राज्य योजना से खर्च किए जाएंगे। प्रस्तावित भवन में 14 न्यायालय कक्ष, दो अधिवक्ता हॉल, डिजिटल कंप्यूटर रूम और आठ टॉयलेट कॉम्प्लेक्स सहित आधुनिक न्यायिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

बेसमेंट से तीसरी मंजिल तक होंगी आधुनिक
सुविधाएं

प्रस्तावित न्यायालय भवन के बेसमेंट में जजों, अधिवक्ताओं एवं पुलिस वाहनों के लिए पार्किंग के साथ पोस्ट ऑफिस,



फोटोकॉपी रूम, मेडिकल रूम, स्ट्रॉंग रूम, नाजिर रूम, ड्राइवर रूम, सुरक्षा कक्ष, फाइलिंग कार्डटर, कॉपींग सेक्शन, गवाह कक्ष और गार्ड रूम बनाए जाएंगे। प्रथम तल पर कंसल्टेशन रूम, क्रेच रूम, जेपी, एजेपी, डीपीओ एवं एडीपीओ के कक्ष, फर्नीचर स्टोर और सर्विस रूम प्रस्तावित हैं। द्वितीय तल पर पिटीशन राइटर रूम, वार्ड टाइपिस्ट रूम, डिस्ट्रेट रूम, रिकॉर्ड रूम, जिला विधिक सहायता अधिकारी कक्ष, रजिस्ट्रार रूम और मेडिएशन रूम होंगे। तृतीय तल पर मल्टीपरपज हॉल, जजेस लाइब्रेरी तथा जिला लोक अभियोजन कार्यालय के लिए स्थान रखा गया है।

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद तेज हुई प्रक्रिया

याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने राज्य शासन के संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया था। न्यायालय ने राज्य सरकार के वित्त विभाग और विधि विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट

करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद शासन स्तर पर प्रस्ताव की प्रक्रिया में तेजी आई। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से प्राप्त प्रस्ताव का मूल्यांकन समिति ने परीक्षण किया। 17 जुलाई 2026 को मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के बाद 10 अगस्त 2026 को स्थायी वित्तीय समिति की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया। इसके बाद शासन ने नवीन न्यायालय भवन निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी।

परिसर में होंगे बाउंड्रीवाल,
सड़क और फायर सिस्टम

भवन के साथ बाहरी विकास कार्य भी प्रस्तावित हैं। इनमें बाउंड्रीवाल, कैम्पस रोड, रैन वाटर हार्वेस्टिंग, एसटीपी, स्ट्रीट लाइट, डीजी सेट, बाढ़ विद्युतीकरण, जलापूर्ति और फायर फाइटिंग सिस्टम शामिल हैं। निजी भूमि अधिग्रहण के लिए 1 करोड़ 20 लाख 23 हजार 550 रुपए का प्रावधान किया गया है।

धर्म को सत्ता की सीढ़ी बनाकर समाज को जातिमेद में बांटना बंद करे सरकार-श्रीधर शर्मा

बोले-राम किसी दल की संपत्ति नहीं, करोड़ों सनातनियों की आस्था

संतों की उपेक्षा और धर्म के राजनीतिक

इस्तेमाल पर उठाए सवाल

अमरकंटक। भगवान राम को किसी राजनीतिक दल या सत्ता की आस्था तक सीमित नहीं किया जा सकता। वे करोड़ों सनातनियों की श्रद्धा, संस्कृति और जीवन-मूल्यों के आधार हैं। भगवान राम के नाम का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने और सनातन धर्म के वास्तविक मार्गदर्शक संत समाज की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति पर गंभीर सवाल उठाते हुए ज्योतिषीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य के परम धर्म सांसद श्रीधर शर्मा ने सरकार पर निशाना साधा है। श्रीधर शर्मा ने कहा कि जो लोग भगवान राम को ‘मर्यादा पुरुषोत्तम’ और महापुरूष बताते रहे हैं, वही आज राजनीतिक लाभ के लिए भगवान की परिभाषा और सनातन की दिशा तय करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान राम किसी दल, व्यक्ति अथवा सत्ता के नहीं, बल्कि समूचे सनातन समाज की आस्था हैं।

राम मंदिर आंदोलन में संतों के योगदान को
कैसे मूलाया जा सकता है?

उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि को लेकर चले लंबे संघर्ष और मंदिर निर्माण की वैचारिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि तैयार करने में संत समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वर्कूपानंद सरस्वती महाराज सहित अनेक संतों ने राम जन्मभूमि के प्रश्न को लेकर लंबे समय तक संघर्ष किया और कानूनी लड़ाई भी लड़ी। श्री शर्मा ने कहा कि वर्तमान ज्योतिषीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने भी संत परंपरा और धार्मिक पक्ष को न्यायालय के समक्ष रखने की भूमिका निभाई। ऐसे में मंदिर निर्माण के बाद उसी संत समाज को हाशिये पर कर देना गंभीर सवाल खड़े करता है।

संतों ने जोड़ा समाज, राजनीति
ने पैदा की खाई

श्रीधर शर्मा ने कहा कि संत समाज की भूमिका केवल



मंदिरों और मठों तक सीमित नहीं रही। संतों ने सदियों से सामाजिक समरसता, गौसेवा, शिक्षा, गरीबों की सहायता और कमजोर वर्गों की आवाज उठाने का काम किया है। जातिगत विभाजन और सामाजिक वैमनस्य की परिस्थितियों में भी संतों ने समाज को जोड़ने का प्रयास किया और इसके लिए उन्हें विरोध तथा अपमान तक सहना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को जाति और वर्ग के आधार पर बांटने की कोशिश सनातन की मूल भावना के विपरीत है। सनातन समाज को जोड़ने की शक्ति रखता है, विभाजित करने की नहीं।

गौवंश संरक्षण पर भी सरकार को घेरा

गौवंश संरक्षण को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए श्री शर्मा ने कहा कि गौमाता के नाम पर राजनीति करना आसान है, लेकिन सड़कों पर भटकते गौवंश, गौशालाओं की बद्दहाल व्यवस्था और किसानों के सामने खड़ी समस्याओं का स्थायी

शासन के आदेश में निर्माण कार्य के लिए केंद्र एवं राज्य योजना के तहत राशि का प्रावधान किया गया है। अब स्वीकृति के बाद निर्माण की आगामी प्रक्रिया लोक निर्माण विभाग द्वारा आगे बढ़ाई जाएगी।

अधिवक्ताओं के प्रयास से मिली बड़ी सफलता

जिला न्यायालय भवन को लेकर लंबे समय से अधिवक्ताओं और स्थानीय लोगों में नाराजगी थी। वर्षों तक मामला अलग-अलग स्तरों पर लंबित रहने के बाद अधिवक्ता दीपक पांडे और अधिवक्ता वासुदेव चटर्जी द्वारा उच्च न्यायालय में उठाए गए मामले से शासन स्तर पर प्रक्रिया तेज हुई। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद स्थायी वित्तीय समिति ने प्रस्ताव पर विचार किया और अब शासन ने औपचारिक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। 23 वर्ष से लंबित इस महत्वपूर्ण परियोजना को स्वीकृति मिलने के बाद अब अनूपपुर को आधुनिक सुविधाओं से युक्त जिला न्यायालय भवन मिलने की उम्मीद मजबूत हो गई है।

धर्म को सत्ता की सीढ़ी बनाकर समाज को जातिमेद में बांटना बंद करे सरकार-श्रीधर शर्मा

बोले-राम किसी दल की संपत्ति नहीं, करोड़ों सनातनियों की आस्था

समाधान करना कठिन है। उन्होंने कहा कि अनेक संत और धार्मिक संस्थाएं अपने स्तर पर गौसेवा और गौसंरक्षण का कार्य कर रही हैं। यदि सरकार वास्तव में गौवंश के प्रति गंभीर है तो घोषणाओं और धार्मिक आयोजनों से आगे बढ़कर गौशालाओं में चारा, उपचार, संरक्षण और बेसहारा गौवंश के स्थायी प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित करे।

असहमति पर संत विवाद का विषय क्यों?

श्रीधर शर्मा ने कहा कि वर्तमान ज्योतिषीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने संत परंपरा और धार्मिक दायित्व का निर्वहन करते हुए धर्म, गौवंश और सनातन संस्कृति से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाया है। उन्होंने कहा कि किसी संत की बात सत्ता के अनुकूल हो तो उसे सम्मान और असहमति होने पर विवाद का विषय बनाना उचित नहीं है। संतों का दायित्व सत्ता का समर्थन करना नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर सत्ता को धर्म, न्याय और मर्यादा का मार्ग दिखाना है।

जय श्रीराम के नारे से नहीं, राम की मर्यादा
पर चलने से बनेगा रामराज्य

श्री शर्मा ने कहा कि सनातन धर्म केवल बड़े धार्मिक आयोजनों, मंदिर निर्माण या राजनीतिक मंचों पर जय श्रीराम के नारों तक सीमित नहीं है। सनातन की आत्मा सत्य, मर्यादा, करुणा, सेवा, गौसंरक्षण, सामाजिक समरसता और धर्माचार्यों के सम्मान में है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम पर सत्ता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन केवल राजनीतिक मंच पर राम की मर्यादा दोहराने से कोई रामभक्त नहीं बन जाता। रामराज्य की बात करने वालों को पहले राम के न्याय, मर्यादा, करुणा और लोककल्याण की भावना को अपने आचरण में उतारना होगा। श्रीधर शर्मा ने कहा कि सनातन धर्म किसी एक राजनीतिक दल की जागीर नहीं है। यह करोड़ों लोगों की जीवन-पद्धति है और संत समाज उसके वास्तविक प्रहरी हैं। इसलिए धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल, संतों की उपेक्षा और समाज को जातिगत आधार पर बांटने की राजनीति से बचना होगा।

न्यायालय : अरविन्द कुमार बरला
न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कोतमा
जिला - अनूपपुर (म.प्र.)
मुन्नी वाई वनरेड आवेदकगण
वनाम
एस.टी.आई.लाईफ इन्शोरेंस
वनरेड अनावेदकगण
आवेदन पत्र अंतर्गत वास. 372 भारतीय
उत्तराधिकार अधिनियम प्रकरण क्रमांक
एस.जे.201. सख्येशन क्रमांक. 15/2026
पेशी दिनांक 16/10/2026

पेशित :-
4- अन्य जिससे संबंधित हो ।
आम जनता को सूचित किया जाता है कि मुन्नी पत्नी
स्व. सरमन केडट उम्र 48 वर्ष महेश केडट पिता स्व.
सरमन केडट उम्र 36 वर्ष, सावित्री पुत्री स्व. सरमन
केडट उम्र- 37 वर्ष सभी निवासी ग्राम - कुहवा,
तहसील कोतमा जिला - अनूपपुर (म.प्र.) द्वारा की
आवेदक एस. बी. आई. लाईफ इश्योरेंस भारतीय
स्टेट बैंक शाखा अमावाडा तहसील कोतमा, जिला -
अनूपपुर एवं नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा
भोपाल फ्रस्ट प्लोर सेवेन टावर जाने - 02 एम. पी.
नगर भोपाल, जिला- भोपाल म.प्र. के विरुद्ध कार्यालय
में जमा संपत्ति राशि एवं उस पर मिलने वाला व्याज मय
लाभार्थ को प्राप्त करने के लिए राशि संपत्ति हेतु
उत्तराधिकार अथवा अभिभावक - संरक्षक नियुक्ति
प्रकरण-पत्र प्राप्त करने के लिए इस न्यायालय में
आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक
16.10.2026 को होगी है ।
यदि किसी व्यक्ति को उस प्रकरण में आवेदक को उस
मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक संरक्षक
होने संबंधी प्रकरण-पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति
हो अथवा उस प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो
पेशी दिनांक 16 अक्टूबर 2026 को न्यायालय में स्वयं
एवं अपने अधिकांश के माध्यम से उपस्थित रहे । सूचना
उपरांत यदि अनुपस्थिति रहे तो प्रकरण की सुनवाई
एक पक्षी की जाकर प्रकरण को निराकरण किया जावे ।
यह आज तारीख 18.08.2026 को मेरे हस्ताक्षर से
और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है ।
Ⓞ (अरविन्द कुमार बरला)
व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कोतमा,
जिला - अनूपपुर (म.प्र.)
नोट :- या किसी कारणवश उस तिथि को न्यायालय
अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह
प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा ।



से जुड़े विवाद को लेकर उन्होंने कई बार एसडीएम पुष्परजगढ़ को शिकायतें दी थीं। यदि शिकायतें वास्तव में प्रशासन तक पहुंची थीं तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि उन पर क्या कार्रवाई की गई, जांच किस स्तर पर हुई और उसका परिणाम क्या रहा। समस्या का समाधान समय रहते नहीं होने पर ही मामला आंदोलन तक पहुंचा।

सड़क बंद हुई तो प्रशासन पहुंचा मौके पर

घटनाक्रम का सबसे बड़ा सवाल यहीं है कि प्रशासनिक मशीनरी आखिर कब सक्रिय हुई? छात्रों के सड़क पर बैठने और यातायात बाधित होने के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे। बातचीत के बाद गेट निर्माण पर रोक लगी। इससे छात्रों को तत्काल राहत मिली, लेकिन इससे व्यवस्था से जुड़ा बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है क्या किसी शिकायत पर कार्रवाई के लिए चक्काजाम जरूरी हो गया है? प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ आंदोलनकारियों को समझाकर सड़क खुलवाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। शिकायत मिलने के बाद उसकी जांच और समयबद्ध निराकरण व्यवस्था की प्राथमिक जिम्मेदारी है।



कब्जे के आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी

छात्रों ने छात्रावास परिसर में कथित जबरन कब्जे, गेट निर्माण और बाउंड्रीवाल निर्माण के आरोप लगाए हैं। छात्रों का यह भी आरोप है कि विरोध करने पर उन पर चोरी के आरोप लगाए गए। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पृष्ठि जांच के बाद ही हो सकेगी, लेकिन मामला गंभीर होने के कारण प्रशासन को इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। जांच में यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि संबंधित भूमि का स्वामित्व किसके पास है, निर्माण की अनुमति थी या नहीं, गेट और बाउंड्रीवाल किस आधार पर बनाई जा रही थी तथा कथित कब्जे की वास्तविक स्थिति क्या है। केवल निर्माण रुकवाने से विवाद समाप्त नहीं होगा, बल्कि पूरे मामले की वैधानिक स्थिति स्पष्ट करना जरूरी है।

चार घंटे का जाम, कई किलोमीटर तक थमे पहिए

रीवा-अमरकंटक मुख्य मार्ग पर करीब चार घंटे तक चक्काजाम रहने से यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आंदोलन के



कारण आम लोगों को हुई असुविधा अपनी जगह है, लेकिन इसके पीछे उठाई गई शिकायतों की गंभीरता की जांच करना भी उतना ही जरूरी है। सड़क पर बैठे छात्रों को हटाकर यातायात बहाल करना प्रशासन के लिए तत्काल समाधान हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो, इसके लिए शिकायत के मूल कारण का निराकरण आवश्यक है।

अब कलेक्टर से मिलने की तैयारी

छात्र संगठन ने अब सीधे कलेक्टर के समक्ष अपनी बात रखने की बात कही है। यह संकेत है कि स्थानीय स्तर पर समाधान को लेकर छात्रों में अभी भी अस्तोष बना हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा गेट जब्त किए जाने और निर्माण पर रोक लगाए जाने के बाद तत्काल तनाव जरूर कम हुआ है, लेकिन मूल विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि कथित कब्जा वैध है या अवैध? निर्माण की अनुमति थी या नहीं? और छात्रों द्वारा पूर्व में की गई शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई? इन सवालों का स्पष्ट और निष्पक्ष जवाब सामने आता है तो विवाद स्थायी रूप से खत्म हो सकता है। अन्यथा चार घंटे का यह चक्काजाम प्रशासन के लिए आने वाले बड़े आंदोलन की चेतावनी भी साबित हो सकता है।

